सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ.संख्या:- इंजी/ओपीपी-38(02)19 दिनांक:- 16.10.2019

नौमनि आदेश संख्या-05/2019

एकल प्रयोग प्लास्टिकों के प्रयोग पर प्रतिशेध

प्रस्तावना :

जबकि, यथासंशोधित वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम 1958 का उद्देश्य नौवहन का निरतंर विकास और यह सुनिश्ति करना है कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सर्वेश्रठ तरीके से भारतीय समुद्री वाणिज्य निरापद तथा प्रभावकारी तरीके से कार्य करें;

2. जबकि नौवहन महानिदेशालय [नौमनि], पोतपरिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को यथासंशोधित वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम 1958 को लागू करने के लिए देश के समुद्रीय प्रशासक के रूप में, भारत में वाणिज्य पोतपरिवहन के सुविधा प्रदाता तथा विन्यामक के रूप मे पदनामित किया है।

3. जबकि, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) अग्रणीय वैश्विक पर्यावरणी प्राधिकरण है जो वैश्विक रूप से पर्यावरणीय मुद्दे तय करता है, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अतंर्गत सत्त विकास के पर्यावरणीय आयम के कार्यन्वयन का समर्थन करता है, और वैश्विक पर्यावरण हेतु प्राधिकार पूर्वक इसके समर्थन का कार्य करता है;

4. जबकि, भारत वर्षों से समुद्री प्रदूषण की रोकथाम सहित यूएनईपी के कार्य में सक्रिय सहयोग देता रहा है;

5. जबकि, 'एकल-प्रयोग प्लास्टिक निरंतरता हेतु रूपरेखा' शीर्षक वाली यूएनईपी रिपोर्ट 2018 के अनुसार एकल-प्रयोग प्लास्टिक को निपटान योग्य प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है, जैसे प्लास्टिक के थैले, स्टौ, कॉफी स्टिरर्स, सोडा और पानी की बोंतले तथा भोजन समावेश्टन सामग्री जिनका प्रयोग मात्र एक बार करने के बाद फैंक दिया जाता है या फिर रिसेंकिल किया जाता है;

6. जबकि, पूर्वोक्त रिवेर्ड मे इस बात पर बल देकर कहा गया कि हर जगह पाया जाने वाला प्लास्टिक आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है जिससे समुद्री जगत मे बाधा पहुँचती है। इसके फलस्वरूप कुछ एक समुद्री क्षेत्र प्लास्टिक का दलदल बन गए हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय सफाई रिपोर्ट 2017 के अनुसार अंतराष्ट्रीय तटवर्ती सफाई के दौरान जो सबसे आम बातें पता चली हैं, इसका परिमाणात्मक रूप, सिगरैट के टुकडे, प्लास्टिक की पेय सामग्री वाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलों के ढ़क्कन, भोजन के रेपर, प्लास्टिक के पर्चून वाले थैले, प्लास्टिक के ढ़क्कन, स्ट्रॉ और स्टिरर्स, पेय सामग्री के कॉच की बोतलें, अन्य तरह के प्लास्टिक बैग तथा फोम के टेकअवे के डिब्बे, एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक, सबसे पहले सूची में आने वाली मदों में इन सबका स्थान सबसे ऊपर रहा है।

8. जबकि, 2018 की युएनईपी रिपोर्ट 'एकल प्रयोग प्लास्टिक निरतंरता हेतु एक रुपरेखा' के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण आज हमारे बीच की एक बडी चुनौती है एकल प्रयोग वाले फैंक दिये जाने वाले प्लास्टिक की सबसे बडी मात्रा इसमें शमिल होती है, लाखों प्लास्टिक के बैग पर्यावरण में मिलकर मिट्टी, जलाशय, नदियों तथा समुद्रों को प्रदूषित करते हैं

9. जबकि, अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय सगंठन के अनुसार, समुद्री कूडे की वजह से हमारे महासागरों में बडी समस्या आती है। कुछ बैजानिकों ने चेतावनी दी है कि 2050 तक महासागरों में प्लास्टिक का परिणमण मछलियों से अधिक हो जाएगा

10. जबकि, समुद्र में प्लास्टिक फेके जाने संबंधी प्रतिबंध की बात समुद्री विन्यामक ढॉचे में कोई सर्वथा नई नहीं है।

11. जबकि, अनुभवी लोगों से पता चला है कि समुद्रकर्मियों द्वारा पोत पर जानबूझकर कूड़ा (प्लास्टिक की बातलें, थैले आदि) जमा किया जाता है और उचित शिक्षा तथा प्रबधंन के अभाव से समुद्रकर्मी अपरिहार्य रुप से एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग करते है, गैर जिम्मेदार तरीके से फेकं देते है।

12 जबकि, इस तरह की आदतों से बचने के लिए आईएमओ ने एक सकंलप दिनांक 07 जुलाई 2017 को एमईपीसी 295 (71)/2017 मारपोल अनुलग्नक V के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिधांत सकंल्प अंगीकृत किया है।

13. जबकि, 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने आम जनता और सरकारी अभिकरणों से अनुरोध किया और एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक से भारत को मुक्त करने की दिशा में पहला बडा कदम उठाया।

14. जबकि, आम जनता और सरकारी अभिकरणों के नाम माननीय प्रधानमंत्री के इस आवहन के क्रम में नौवहन महानिदेशक ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय समुद्रों में पोतों के रहते समय भारतीय तथा विदेशी पोतों पर एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिशेध लगाए जाने वाले मुद्दे की जांच की जाए।

15. जबकि, नौवहन महानिदेशक भारत सरकार की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2019 को निदेशालय में हितधारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इन्डियन नैश्नल शिप ऑनर्स एसोसिएशन, इन्डियन कोस्टल शिपिंग एसोसिएशन और मान्यप्राप्त संगठनो ने भाग लिया।

16. जबकि, उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20 अक्टूबर 2019 से भारतीय नौजगत द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा कि एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक से भारत और भारतीय समुद्रों को मुक्ति प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढाया जाए।

17. अब इसलिए, व्यापक जनहित में भारतीय समुद्रों में रहते समय भारतीय और विदेशी पोतों पर एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी पाबंधी लगाई गई है जिसकी शर्तें और निबधंन अग्राकिंत परिच्छेदों में दिए गए है।

18. **<u>यह प्रतिबधं किस पर लागू होगा</u>**

18.1 जिन पोतों को वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम 1958 के अंतर्गत भारतीय पोत समझा जाता है।

18.2 भारत के किसी पतन या स्थान पर कोई विदेशी पोत।

19. **<u>निषेध :</u>**

19.1 **01.01.2020 <u>से प्रतिशेधित मदें निषिद्ध वस्तु:</u>**

01.01.2020 से जो पोत भारत के किसी पतन या किसी स्थान पर होंगे, उन भारतीय और विदेशी पोतों पर निम्नोक्त एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का प्रतिशेध है;

19.1.1 थैले, ट्रे, डिब्बे, भोजन समावेश्टन फिल्म;

19.1.2 दूध की बोतलें, फ्रीजर बैग, शैम्पू की बोतलें, आइसक्रीम के डिब्बे;

19.1.3 पानी तथा अन्य पेय की बोतलें, सफाई तरल पदार्थ कंटैयनर, बिस्किट ट्रे;

19.1.4 गर्म पेय के कप, इन्सुलेटड फुड पैकेजिंग, कांच आदि के सामान की सरंक्षी समावेश्टन साम्ग्री;

19.1.5 माइक्रोवेव की प्लेटें, आइसक्रीम टब, आलू चिप बैग, बोतल के ढक्कन;

19.2 **<u>तत्काल प्रभाव से प्रतिशेधित मद:</u>**

19.2.1 कटलेरी, प्लेटें और कप;

19.2.2 पानी तथा अन्य पेयों की 10 लीटर तक की बोतलें;

19.2.3 कूडा तथा खरीददारी के बैग

19.2.4 10 लीटर से कम की मात्रा वाले क्लीनिंग फलूयिड के डिस्पेन्सिंग कटैंयनर

20. **<u>प्रवर्तन</u>:**

20.1 सभी मान्यता प्राप्त संगठनो को एतद्वारा निवेश दिया जाता है कि वे भारतीय पोतों के सर्वेक्षणों, निरीक्षण और लेखा परीक्षा के दौरान अग्रांकित को सुनिश्चित करे।

20.1.1 एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक किसी भी भारतीय पोत पर न तो पाए जाए ना प्रयोग में लाए जाए, ना ही भडांरित किए जाए। पोतों की सर्वेक्षण स्थिति में इसी आशय का एक ज्ञापन लगाया जाए।

20.2 भारतीय पोतों का ध्वज पोत निरीक्षण/लेखा परीक्षा/सर्वेक्षण करते समय प्रशासन सर्वेक्षक इस बात का सत्यापन करे कि भारतीय पोतों पर ना तो एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक प्रयोग में लाए ताते हैं और न ही उपलब्ध हैं। अनुपालन न करने की दशा में सहिंता 99103 (अन्य मारपोल प्रचालनात्मक) के अंतर्गत प्रस्थान करने से पहले ठीक किए जाने के लिए कमी को सामने लाया जाए। अगले निरीक्षण के दौरान यदि यही कमी फिर सामने आती है तो आईएसएम सहिंता के अंतर्गत रोके जाने के लिए इसे एक स्पष्ठ आधार माना जाए।

20.3 विदेशी ध्वज जलयानों पतनराष्ट्र निरीक्षण करते समय प्रशासन सर्वेक्षक यह सुनिश्चित करें कि भारतीय पतनों में रहने के दौरान तथा भारत के समुद्री मार्ग से आते जाते समय इनमें न तो एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है न ही इन्हें ताला बंद करके भडांर में रखा गया है। भारतीय पतन मे आने के इच्छुक भारतीय पोत (यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 11 में बताए गए) से यह अपेक्षा है कि वह पोत पर एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक मदों की जानकारी दिए जाने संबंधी प्रविष्टि करें तथा भारतीय समुद्र में घुसने से पहले इन्हें रखे जाने का समय,

अक्षांश, देशातंर बताएं जहां कि इसे रखा गया है। इसके अलावा किसी भारतीय पतन की पतन ग्राही सेवा में एकल प्रयोग के प्लास्टिक वाली किसी मद को न डाला जाएं; इसका सत्यापन पतनराष्ट्र निरीक्षणों के समय किया जाए। विदेशी पतनों को रोका न जाए। यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो समस्त उन कमियों को आईओसीआईएस की वेबसाइबट पर ॲपलोड किया जाने के बाद प्रस्थान करने से पहले ठीक किए जाने के लिए मुद्रित पतन राष्ट्र नियत्रंण प्रपत्र बी में, कमियों को हाथ से लिख कर जारी किया जाए, तथापि किसी ऐसी कमी को आईओसीआईएस पर ॲपलोड न किया जाए।

21. पूर्वोक्त उपाय निरापद, सुरक्षित, पर्यापरणीय रूप से सुद्रढ, निरतंर चलते रहने योग्य नौवहन तथा जनहित में किए गए हैं।

22. यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है।

14/10/19

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक
एवं अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सभी हितधारकों को डीजीएस वेबसाइट के माध्यम से
2. सभी समुद्री वाणिज्य विभाग
3. सभी मान्यताप्राप्त संगठनों
4. इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन
5. इंडियन नैशनल शिप-ओनर्स एसोसिएशन [INSA], मुंबई
6. ICC शिपिंग एसोसिएशन [ICCSA], मुंबई

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

सचिव, भारत सरकार, पोतपरिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
(ध्यानार्थ: श्री सतिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव)